बिहार सरकार

उद्योग विभाग

<u>अधिसूचना</u>

<u>4433</u>/ राज्य के आद्योगिक वातावरण में सुधार तथा अप्रवासी भारतीय/बिहारी समुदाय से बिहार में पूँजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने Bihar Foundation के गठन करने का निर्णय लिया है। इस Foundation का मुख्य उद्देश्य निम्न होगाः–

(i) अप्रवासी बिहारी एवं राज्य सरकार के बीच संसूचन एवं interaction के लिए उपयुक्त फोरम का कार्य करना;

(ii) राज्य के विकास में अप्रवासी बिहारियों के योगदान के लिए सहायता प्रदान करना;

(iii) देश के अन्य राज्यों में अवस्थित बिहारी आबादियों के बीच कार्य करना;

(iv) अन्य राज्यों में बसे बिहारी श्रमिकों के कौशलता उन्नयन के लिए कार्य करना;

(v) अप्रवासी बिहारियों के कल्याणार्थ सहायता केन्द्रों की स्थापना, विकास तथा सूचना केन्द्रों की स्थापना, Common Service Centre के प्रबंध एवं प्रशासन की व्यवस्था से संबंधित कार्य;

(vi) देश के अंदर और विदेशों में जहाँ अप्रवासी भारतीय/ बिहारी समुदाय अवस्थित हैं, के स्थानीय चैप्टर की स्थापना;

(vii) विभिन्न प्रक्षेत्रों के विकास एवं प्रसंग में सरकार के नीति निर्धारण हेतु सुझाव देना, राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाओं के सुदृढीकरण तथा इस हेतु वित्त एवं endowment के सृजन के कार्य;

(viii) Foundation के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संबंधित सभी प्रकार के एवं उससे जुड़े विषयों पर राज्य सरकार के सहायतार्थ कार्य करना;

(ix) **मुख्य मंत्री, बिहार** इस foundation के **मुख्य संरक्षक** होंगे और **उप मुख्य मंत्री** इसके **अध्यक्ष** होंगे। इसके सदस्य सचिव के रूप में विकास आयुक्त होंगे।

(x) Foundation के अन्य सदस्य, मुख्य संरक्षक एवं अध्यक्ष की राय से मनोनित किया जा सकेगा। इस Foundation के लिए कार्य सचिवालय सहायता योजना एवं विकास विभाग करेगा एवं व्यय के राशि का प्रबंध उसी विभाग द्वारा किया जायेगा।

(xi) कार्यकलाप, शक्तियाँ एवं अन्य संबंधित विषयों पर नियम एवं विनियमन Foundation द्वारा तैयार किया जायेगा।

(xii) Foundation अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य विशेषज्ञों एवं ख्याति प्राप्त विशिष्ट संस्था एवं संस्थानों की सहायता ले सकेगी। उन्हें बैठकों के आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(एस० विजयराघवन)
औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–4433 पटना, दिनांक–24/11/2006

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–4433 पटना, दिनांक–24/11/2006

प्रतिलिपि– मुख्य मंत्री के सचिव, बिहार, पटना/ उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/उपाध्यक्ष, राज्य योजना पर्षद, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/राज्य मंत्री, उद्योग के आप्त सचिव/ राज्य मंत्री, गन्ना विकास विभाग के आप्त सचिव/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।